<u>प्रयोगशाला का निर्माण/विभिन्न सामग्री की आपूर्ति करने हेतु अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्ते</u>

1. निविदादाता को बंद लिफाफा (अ, ब एवं स) में निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. लिफाफ "अ" में शासन के वाणिज्यिकर विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र सामग्रियों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रताओं का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण, पेन कार्ड की छायाप्रति एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. लिफाफा "ब" में दर सूची प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा "अ" और "ब" को बंदकर लिफाफा "स" में प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा "अ" पहले खोला जाएगा, जिसमें निविदा की शर्तों का पूर्ण करने एवं वैद्य पाये जाने पर ही लिफाफा "ब" खोला जाएगा।
5. सभी कर सम्मिलित कर के निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त परिवहन या अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा।
6. एक निविदाकार का एक ही निविदा स्वीकार किया जाएगा।
7. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में 1,00,000.00 रू. (शब्दों में रूपये एक लाख मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंको से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो कि कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति के पक्ष में जारी हुआ हो, को लिफाफा "अ" के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. निविदा प्रपत्र बिक्री हेतु अंतिम तिथि दिनांक 07.05.2018 अपरान्ह 05:00 बजे तक है।
9. निविदा मुहर बंद लिफाफे में दिनांक 14.05.2018 अपरान्ह 02:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी दिन अपरान्ह 05:00 बजे निविदा लिफाफे निविदा हेतु गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें निविदादाता स्वंय/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
10. निविदादाता अगर अमानत राशि की छूट हेतु अधिकृत हैं वे प्रमाण–पत्र तथा शासन के अभिप्रमाण लिफाफा "अ" में प्रस्तुत करें।
11. दरें स्वीकृत होने पर तथा आदेश के मान से निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति नहीं होने पर अमानत राशि राजसात की जावेगी, तथा दिये गए आदेश की सामग्री मूल्य पर 5% प्रतिशत पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो बकाया भू–राजस्व के रूप में वसूल किया जावेगा।
12. निविदा पर वाणिज्यिकर का जीवित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा। निविदादाता को आयकर एवं वाणिज्यकर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
14. सामग्री प्रदाय आदेश जारी करने के 03 माह के भीतर सामग्री निर्माण/प्रदाय कर इंस्टाल करना अनिवार्य होगा।
15. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए प्रदायकर्ता से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।
16. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री से संबंधित कैटलॉग लिफाफा "अ" में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. प्रपत्र भाग–ब में दर्शित स्थानो पर प्रयोगशाला कक्ष स्थापना हेतु विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
18. आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री से संबंधित कैटलॉग, विवरण (Specification) एवं प्रतिकृति (Image) होना आवश्यक है। सामग्री स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
19. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार इस कार्यालय को होगा। जिन फर्म/व्यापारियों की निविदा अस्वीकार की जावेगी। उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
20. निविदादाता फर्म द्वारा प्रदाय की गई निर्माण/सामग्रियों का भौतिक सत्यापन निविदा हेतु गठित समिति के द्वारा किया जावेगा। भौतिक सत्यापन में मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी या निरस्त किया जावेगा।
21. निविदा प्रकिया के दौरान कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति जिला बीजापुर द्वारा ऐसी कोई भी शर्तें निर्धारित की जा सकती है जो शासन हित में हो। यह शर्त समस्त निविदाकर्ता को मान्य एवं उनके लिए बंधनकारी होगा।
22. निविदा प्रक्रिया में सामाग्रियों की संख्या में कमी/वृद्वि/निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति, जिला–बीजापुर को होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति, जिला–बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला निर्माण समिति
जिला बीजापुर